न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बहराइच।
अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–1481/2026
(CNR No.UPBH01003965–2026)

1. लक्ष्मी नरायन उम्र लगभग 39 वर्ष, } पुत्रगण–गया प्रसाद ,
2. ज्वाला उम्र लगभग 63 वर्ष,

निवासीगण–मोगदहनपुरवा, दा०–मांझा दरिया बुर्द, थाना–खैरीघाट, जनपद–बहराइच।

–––आवेदक/अभियुक्तगण।

प्रति

उ०प्र० राज्य–––––अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–400/2018,
धारा–323, 504, 308 भा०द०सं०,
थाना–खैरीघाट, जनपद–बहराइच।

–––

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र

10.07.2026

थाना–खैरीघाट, जनपद–बहराइच के मुकदमा अपराध संख्या–400/2018, अन्तर्गत धारा–323, 504, 308 भा०द०सं० के प्रकरण में अभियुक्तगण लक्ष्मी नरायन व ज्वाला की तरफ से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वयं के शपथ–पत्रों के साथ प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से कथन किया गया कि उनका यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र प्रथम है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ या किसी अधिनस्थ न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही निस्तारित हुआ है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक), बहराइच के तर्कों को सुना एवं उपलब्ध पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी ननकुन से धान की फसल काटने की बात को लेकर वाद–विवाद था, उसी रंजिश को लेकर दिनांक–08.10.2018 को समय करीब 6 बजे शाम विपक्षीगण लक्ष्मीनरायन, ज्वाला, पहलाद व रंगीलाल उसे गाली–गुप्ता देते हुए लाठी, डन्डों से मारने–पीटने लगे, जब उसे बचाने दुर्गेश व जनकू आये, तो उन्हे भी खेत पर आकर गाली–गुप्ता देते हुए लाठी, डलक्ष्मी नरायन व ज्वालान्डों से मारने–पीटने लगे। उसके हल्ला–गुहार करने पर गाँव के तमाम लोग मौके पर आये और बीच–बचाव कराये।

वादी की तहरीर के आधार पर दिनांक–26.12.2018 को समय 15:19 बजे आवेदक/अभियुक्तगण व सह–अभियुक्तगण पहलाद रंगीलाल के विरूद्ध थाना–खैरीघाट में अपराध संख्या–400/2018, धारा–323, 504, 308 भा०द०सं० में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई। विवेचनोपरान्त मामले में उपरिवर्णित धाराओं में आरोप–पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना–पत्र में वर्णित अभिकथनों का समर्थन करते हुये कहा कि तथाकथित अभियोग में आवेदक/अभियुक्तगण को फर्जी एवं झूठे आरोपों से आरोपित कर रंजिशन फंसाया गया है। तथाकथित अभियोग एवं उसके अभियोजन कथानक से वह अनभिज्ञ एवं निर्दोष है। उन्होंने ऐसा कोई अपराध नही कारित किया है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तथाकथित अभियोग के साक्षियो के कथनो में काफी विरोधाभाष है। उनके व वादी आदि के मध्य आपसी परिवारिक विवाद अरसा पूर्व से चल रहा है। उक्त अभियोग के वादी द्वारा दिनाक 08.10.2018 का उनको गाली–गुप्ता देकर मारा–पीटा गया था और जान से मारने की धमकी दी गयी थी, जिस बावत आवेदक/अभियुक्तगण के पिता गया प्रसाद द्वारा मु०अ०स०–308/2018 धारा–323, 504, 506 भा०द०सं०, थाना–खैरीघाट जनपद–

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.07.10 15:30:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

बहराइच पर अंकित कराई गई थी, जिसमें माननीय न्यायालय पर आरोप–पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियोग पूर्व में एन०सी०आर०नं0–301/2018, धारा–323, 504 भा०द०सं० में पंजीकृत कराकर फंसाया गया बाद में एक साजिश के तहत लगभग दो–ढाई महीने बाद उक्त अभियोग दर्ज कराया गया है। मामले के सह–अभियुक्त रंगीलाल की जमानत दिनांक–06.02.2024 को सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। उपरोक्त कथनों के आधार पर याचना की गई कि आवेदक/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाये।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक), बहराइच द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध करते हुये यह तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण ने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के कारण वादी को गाली–गुप्ता देते हुए लाठी, डन्डों से मारने–पीटने लगे, बचाने दुर्गेश व जनकू को भी गाली–गुप्ता देते हुए लाठी, डन्डों से मार–पीटकर स्वेच्छया साधारण चोटें कारित की। अभियुक्तगण के मारने–पीटने से चोटहिलों दुर्गेश व जनकू के शरीर पर गम्भीर चोटें आई हैं एवं चोटहिल ननकुन के सिर में फ्रैक्चर पाया गया। घटना का समर्थन चोटहिलों व चश्मदीद साक्षियों ने विवेचक को दिये अपने–अपने बयान में किया है। आवेदक/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं। मामले में आवेदक/अभियुक्तगण व सह–अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप–पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा विवेचना में सहयोग नहीं किया जा रहा है, जिस कारण उनके विरुद्ध न्यायालय द्वारा उपस्थिति हेतु जमानतीय अधिपत्र जारी किये जाने का आदेश पारित किया गया है। यदि आवेदक/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया, तो उनके द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जायेगा और साक्षियों को प्रभावित किया जायेगा। कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः आवेदक/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

पत्रावली एवं अन्य सुसंगत प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्तगण के विरुद्ध यह अभियोग है कि उन्होंने सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के कारण वादी ननकुन, दुर्गेश व जनकू प्रसाद को गालियां देते हुए लाठी, डण्डा से मार–पीटकर स्वेच्छया साधारण व प्राणघातक चोटें कारित की। पत्रावली के साथ संलग्न चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार चोटहिल दुर्गेश के शरीर पर एक चोट साधारण प्रकृति की एवं चोटहिल जनकू के शरीर पर दो चोटें साधारण प्रकृति की पाई गईं। चोटहिल ननकुन के शरीर पर दो चोटें, जिसमें से चोट सं०–2 साधारण प्रकृति की पाई गई व चोट सं०–1 को एक्स–रे की सलाह दी गई। एक्स–रे रिपोर्ट में चोटहिल ननकुन के फ्रन्टल बोन में फ्रैक्चर होना अंकित है। चार अभियुक्तगण द्वारा चोटहिलों को मारा–पीटा जाना कहा गया है, परन्तु किसी भी अभियुक्त की कोई विशिष्ट भूमिका दर्शित नहीं की गई है। दौरान विवेचना धारा–41(1)ए०,बी० द०प्र०सं० के प्राविधानों के अनुपालन में आवेदक/अभियुक्तगण को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत पुलिस आख्या में आवेदक/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं किया गया है। सह–अभियुक्त रंगी लाल की नियमित जमानत सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक–16.02.2024 को स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्तगण व सह–अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप–पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। कोई साक्ष्य संकलित होना शेष नहीं है। विचारण न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अभियुक्तगण विगत कई नियत तिथियों पर उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण उनकी उपस्थिति हेतु न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध जमानतीय अधिपत्र जारी किये जाने का आदेश पारित किया गया है, किन्तु पत्रावली पर उक्त आदेशिका के तामील अथवा अदम तामील होने के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं किया गया है और न ही उक्त आदेशिका पत्रावली पर उपलब्ध है।

मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्तगण लक्ष्मी नरायन व ज्वाला की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्तगण प्रत्येक को 50,000/–रूपये(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि की दो प्रतिभू संबंधित

न्यायालय के अनुरूप दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरिवर्णित अभियोग में अग्रिम जमानत पर रिहा किया जायेः–

1. अभियुक्तगण मामले की प्रत्येक नियत तिथि पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।
2. अभियुक्तगण आरोप विरचन तथा बयान अन्तर्गत धारा–313 द०प्र०सं० के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर अभियुक्तगण कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।
4. अभियुक्तगण साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेंगे।
5. अभियुक्तगण, न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।
6. आवेदक/अभियुक्तगण उपरोक्त अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या सन्देह है, कोई अपराध नहीं करेंगे।

दिनांक–10.07.2026

(राजेश कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, बहराइच।
Id.No.–UP2017